मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 2024 (श्रावण 25, 1946)

नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमश:नियम 213, 216(1), 224(1), 231(2), 233(1), 234-ग, 234-घ (2), 234-ज, 234-त एवं 234-थ के अधीन वर्ष 2024-2025 की अवधि तथा 234-ड.(2) के अधीन 2024-2026 की अवधि में सेवा करने के लिए मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित सभा समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद्द्वारा नियुक्त किया गया है:-

याचिका एवं अभ्यावेदन समिति

1.	**श्री हरदीप सिंह डंग (सभापति)**
2.	श्री ठाकुरदास नागवंशी
3.	इंजी. प्रदीप लारिया
4.	श्री अनिल जैन (निवाड़ी)
5.	श्रीमती ललिता यादव
6.	श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत)
7.	श्री गोपाल सिंह इंजीनियर
8.	श्री राजकुमार कर्राहे
9.	श्री महेश परमार
10.	श्री मधु भगत
11.	श्री राजन मण्डलोई

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1.	**श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (सभापति)**
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
3.	श्री सतीश मालवीय
4.	श्री मथुरालाल डामर
5.	श्री अरविन्द पटैरिया
6.	श्री प्रीतम लोधी
7.	श्री महेन्द्र रामसिंह यादव (खतौरा)
8.	श्रीमती कंचन मुकेश तनवे
9.	चौधरी सुजीत मेर सिंह
10.	श्री केशव देसाई
11.	श्री ऋषि अग्रवाल

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1.	**श्री हरिशंकर खटीक (सभापति)**
2.	श्री सुदेश राय
3.	श्रीमती गायत्रीराजे पवार
4.	श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5.	श्री रमेश प्रसाद खटीक
6.	श्री प्रदीप पटेल
7.	श्रीमती मनीषा सिंह
8.	श्री गौरव सिंह पारधी
9.	श्री फूल सिंह बरैया
10.	डॉ. विक्रांत भूरिया
11.	श्री दिनेश गुर्जर

नियम समिति

1.	डॉ. मोहन यादव, मा.मुख्यमंत्री
2.	श्री गिरीश गौतम
3.	श्रीमती गायत्रीराजे पवार
4.	श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
5.	श्री सचिन बिरला
6.	डॉ.तेजबहादुर सिंह चौहान
7.	श्री महादेव वर्मा (मधु वर्मा)
8.	डॉ. हिरालाल अलावा
9.	श्री विजय रेवनाथ चौरे
10.	श्री अभय मिश्रा

मा. अध्यक्ष,मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे.

पुस्तकालय,अनुसंधान एवं संदर्भ समिति

1.	**श्री ओमप्रकाश सखलेचा (सभापति)**
2.	श्री कमल मर्सकोले
3.	श्री हरिसिंह सप्रे
4.	श्री बालकृष्ण पाटीदार
5.	श्री प्रदीप अग्रवाल
6.	श्री राकेश शुक्ला(गोलू)
7.	श्री जितेन्द उदयसिंह पण्ड्या
8.	श्री मुरली भँवरा
9.	श्री विश्वनाथ सिंह (मुलाम भैया)
10.	डॉ.अभिलाष पाण्डेय

आचरण समिति

1.	**श्री सुरेन्द्र पटवा (सभापति)**
2.	श्री विजयपाल सिंह
3.	श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
4.	श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी
5.	श्री विक्रम सिंह (विक्की)
6.	श्री कामाख्या प्रताप सिंह
7.	श्री सिद्धार्थ तिवारी (राज)
8.	डॉ.तेजबहादुर सिंह चौहान
9.	श्री संजय उइके
10.	श्री आतिफ आरिफ अकील
11.	श्रीमती अनुभा मुंजारे

आचरण समिति
वर्ष 2024-25

स्थायी एवं स्थानीय पते की सूची
(मोबाइल नं. एवं दूरभाष सहित)

क्र.	माननीय सदस्यों के नाम	स्थायी पता	स्थानीय पता	मोबाइल नंबर	पिनकोड/ दूरभाष नं.
1	**श्री सुरेन्द्र पटवा,**	34 गुलमर्ग कालोनी, जिला-इन्दौर (म.प्र.) 452001	बी-3, 74 बंगले, भोपाल (म.प्र.)	9826082145	-
2	**श्री विजयपाल सिंह**	होटल भाग्यश्री, इतवारा बाजार, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.) 461001	डी-25, चार इमली, सी.बी.आई. कालोनी के पास, भोपाल (म.प्र.)	8103362020 9425040990	(07574) 253697
3	**श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा,**	ग्राम पोस्ट बघवाड़ा तहसील डोलरिया जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.) 461001	विधायक विश्राम गृह, पुराना पारिवारिक खण्ड, कमरा नं.19, खण्ड-3, कमरा नं.-93, भोपाल (म.प्र.)	9826664246 7067338845	-
4	**श्री संजय उइके,**	ग्राम-भीमजोरी, पोस्ट एवं तहसील-बिरसा, जिला-बालाघाट (म.प्र.) 481051	ई-100/20, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)	9425138581	(0755) 2572344
5	**श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी,**	वार्ड नंबर-3, चिमन बूट हाउस वाली गली, गायत्री मंदिर के पीछे, मंडी रोड, जिला अशोकनगर (म.प्र.) 473331	विधायक विश्राम गृह, खण्ड-3, कमरा नं. 35-36, भोपाल (म.प्र.)	9425132075 9425723766	-
6	**श्री विक्रम सिंह,**	गोविन्द भवन, वार्ड नं.-6 कुर्मिहा टोला, रामपुर बाघेलान, जिला-सतना (म.प्र.) 485001	विधायक विश्राम गृह, खण्ड-2, कमरा नं. 48-49, भोपाल (म.प्र.)	7982610053 9755289289	-
7	**श्री कामाख्या प्रताप सिंह,**	पोस्ट अलीपुरा, तहसील नौगांव, जिला- छतरपुर (म.प्र.) 471001	विधायक विश्राम गृह, पुराना पारिवारिक खण्ड, कमरा नं.6, भोपाल (म.प्र.)	9893740011	-
8	**श्री सिद्धार्थ तिवारी,**	अमहिया, रीवा, जिला-रीवा (म.प्र.) 486001	विधायक विश्राम गृह, नवीन पारिवारिक परिसर-ब, कमरा नं.-6, भोपाल (म.प्र.)	9717178676	-
9	डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान,	चिकित्सालय मार्ग, गली नं.-1, नागदा जंक्शन, जिला-उज्जैन (म.प्र.) 456001	विधायक विश्राम गृह, खण्ड-3, कमरा नं.74-75, भोपाल (म.प्र.)	9827213901 9424893020	-
10	श्री आतिफ आरिफ अकील,	54-क, लक्ष्मी टाकीज रोड, भोपाल (म.प्र.) 462001	54-क, लक्ष्मी टाकीज रोड, भोपाल (म.प्र.) 462001	9993166856	-
11	श्रीमती अनुभा मुंजारे,	एफ-1, बाघ कालोनी, जय स्तंभ चौक, बालाघाट (म.प्र.) 481001	विधायक विश्राम गृह, नया पारिवारिक खण्ड-2, कमरा नं.24, भोपाल (म.प्र.)	7067944371	-

आचरण समिति शाखा के अधिकारीगणों के
नाम, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर की सूची

क्रमांक	अधिकारियों के नाम व पद	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष एवं मोबाइल नंबर
1	श्री ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव	0755-2523006	0755-2440410 9425012971
2	श्री अरविन्द शर्मा सचिव	0755-2523011	8383931071
3	श्री पुनीत श्रीवास्तव अपर सचिव	0755-2523033	
4	श्री व्ही. डी. गोयल संचालक (पुस्त.)	0755-2523169	0755-2776105
5	श्री विष्णु प्रताप सिंह अनुसंधान अधिकारी (पुस्त.)	0755-2523061	
6	श्री राकेश कुमार तिवारी सहायक अनुसंधान अधिकारी	0755-2523127	

[1][(द) आचरण समिति.

234-ज. (1) चतुर्थ अनुसूची में सदस्यों के लिए उल्लिखित आचार संहिता के सामान्य नियमों का उल्लंघन एवं उनके अनैतिक आचरण की जांच हेतु विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में अध्यक्ष, आचरण समिति का गठन करेगा. जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा. समिति का गठन.

(2) समिति में अधिक से अधिक ग्यारह सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे:

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

234-झ. (1) समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:— समिति के कृत्य.

(क) समिति सदस्यों के अनैतिक आचरण पर नजर रखेगी;

(ख) किसी सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंधित शिकायतों तथा मामलों की जांच करना, जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा इसको सौंपे जाएं तथा ऐसी सिफारिशें करना, जो समिति उचित समझे; और

(ग) समिति उन कृत्यों को विनिर्दिष्ट करते हुए नियम बनाएगी, जो अनैतिक आचरण की श्रेणी में आते हैं.

(2) समिति, सदस्य के विधान सभा में अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण की, जहां भी वह आवश्यक समझे, स्वतः जांच कर सकेगी और ऐसी सिफारिश करेगी जो, वह उचित समझे.

234-ञ. आचरण संबंधी शिकायतों हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:— शिकायत हेतु प्रक्रिया.

(1) कोई सदस्य, किसी अन्य सदस्य के विधान सभा में अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है.

---

1. मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो, क्रमांक 29, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया, अधिसूचना क्रमांक 6180-वि.स.-विधान-2015, दिनांक 13 मार्च, 2015, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), में प्रकाशित.

(2) शिकायत विधान सभा अध्यक्ष को संबोधित की जायेगी, जो इसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु विधानसभा की आचरण समिति के सभापति को अग्रेषित कर सकेगा.

(3) शिकायतकर्ता को अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए संबंधित साक्ष्य, दस्तावेज एवं अन्य ऐसे सबूत जो आरोपों को सिद्ध करने में सहायक हों, प्रस्तुत करने होंगे.

(4) शिकायतकर्ता के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि शिकायत असत्य, तुच्छ या परेशान करने वाली नहीं है.

(5) अपुष्ट या आधारहीन शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(6) आचरण समिति किसी न्यायाधीन मामले पर विचार नहीं करेगी और इन नियमों के प्रयोजनार्थ समिति का यह निर्णय कि यह मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं अंतिम माना जाएगा.

(7) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी अन्य विषय के होते हुए भी, अध्यक्ष किसी सदस्य के विधान सभा में अथवा उनके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण के मामले को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु आचरण समिति को संदर्भित कर सकेगा.

शिकायत प्राप्त होने के बाद प्रक्रिया.

234-ट. (1) समिति को प्रेषित किसी शिकायत अथवा, समिति द्वारा स्वतः विचारार्थ लिये गये किसी मामले की समिति प्रारंभिक जांच करेगी:

परन्तु सभापति समिति द्वारा स्वतः विचारार्थ लिये गये मामले की जानकारी से तुरंत अध्यक्ष को अवगत करायेगा.

(2) यदि अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकरण को समिति के पास भेजा जाता है और प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि समिति की राय में कोई प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं बनता है तो वह यह सिफारिश कर सकेगी की प्रकरण पर विचार न किया जाय, तथा तदाशय की सूचना अध्यक्ष को देगी.

(3) यदि समिति स्वतः कोई प्रकरण विचारार्थ लेती है और प्रारंभिक जांच के पश्चात् समिति की राय में कोई प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं बनता है तो वह प्रकरण को छोड़ने का निर्णय ले सकेगी और सभापति तदाशय की जानकारी अध्यक्ष को देगा.

(4) यदि समिति की राय में प्रथमदृष्टया प्रकरण है तो समिति प्रकरण पर आगे जांच करेगी.

(5) समिति उसे प्रेषित प्रकरणों की जांच हेतु समय-समय पर प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी.

प्रतिवेदन.

234-ठ. (1) समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) यदि अध्यक्ष कोई प्रकरण समिति के पास भेजता है तो प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे सभा पटल पर रखने का निदेश देगा.

(3) यदि समिति स्वतः कोई प्रकरण विचारार्थ लेती है तो प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

(4) समिति के प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करते हुए सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होना चाहिए.

प्रतिवेदन पर विचार.

234-ड (1) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, सभापति या समिति का कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए.

(2) प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखने से पहले, अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति दे सकेगा, जिसकी अवधि आधे घण्टे से अधिक नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन से इतर ब्यौरों का उल्लेख नहीं होगा.

(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत किए गए प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करे/अस्वीकार करे या संशोधनों के साथ स्वीकार करे.].

[1][चतुर्थ अनुसूची

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा सदन के भीतर एवं बाहर अपनाई जाने वाली आचार संहिता के सामान्य नियम

1. जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य—

(क) सदन की मर्यादा बनाए रखेगा;

(ख) अध्यक्षीय पीठ को नहीं लांघेगा;

(ग) जब पीठासीन अधिकारी बोलने/संबोधित करने के लिए खड़ा हो तो सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेगा;

(घ) सदन को संबोधित करते समय अपने लिए नियत स्थान पर ही रहेगा; तथा

(ङ) जब सदन में नहीं बोल रहा हो, तब शांति बनाए रखेगा.

2. जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य—

(क) अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ करके न तो बैठेगा न ही खड़ा होगा;

(ख) सदन में किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगायेगा न ही प्रदर्शित करेगा;

(ग) सदन में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पर्चे, प्रेस–नोट, इश्तिहार इत्यादि का वितरण नहीं करेगा जो सदन के कार्य से संबंधित न हो;

(घ) सदन में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेगा, सदन में धूम्रपान नहीं करेगा या बांह पर कोट लटकाकर सदन में प्रवेश नहीं करेगा;

(ङ) विरोध–स्वरूप दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा;

(च) अध्यक्ष/मंत्री/सदस्य/अधिकारीगण से किसी भी प्रकार के कागज व दस्तावेज की छीना झपटी नहीं करेगा;

(छ) सदन में इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, कैसेट या टेप रिकार्डर नहीं लायेगा या बजायेगा;

(ज) कार्यवाही में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी सामान को सदन में नहीं लायेगा;

(झ) सदन एवं सदन के आस–पास के स्थानों में सत्याग्रह या धरने पर नहीं बैठेगा; तथा

(ञ) किसी अन्य सदस्य को अपशब्द नहीं कहेगा, चोट नहीं पहुंचायेगा अथवा हाथपाई करने के प्रयास नहीं करेगा.

3. सदन की समितियों में सदस्यों के लिए आचार संहिता

(क) यदि किसी समिति के सदस्य का समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मामले में व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष रूचि है, तो वह समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष ऐसी रूचि भी अभिव्यक्त करेगा.

(ख) जब कभी भी समिति के सदस्यों के ऐसे सदस्यों को ऐसे कागजात या दस्तावेज वितरित किये जाते हैं, जिन पर गोपनीय अंकित होता है, ऐसे कागजातों या दस्तावेजों की विषय-वस्तु किसी सदस्य द्वारा असहमति के कार्यवृत्त या सदन के अंदर या किसी अन्य रूप में, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उद्‌घाटित नहीं की जायेगी तथा जहां ऐसी अनुमति प्राप्त हो गई है, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में लगाया गया प्रतिबंध या दस्तावेज में वर्णित सूचना की मात्रा के रहस्योद्‌घाटन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा.

(ग) किसी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का समिति के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जब तक इसे सदन के पटल पर न रख दिया जाए,

4. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार-संहिता—

(क) यदि कोई सदस्य सदन में राज्यपाल के अभिभाषण को पहले अवरूद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण के पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद, जब राज्यपाल सदन में उपस्थित हो, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा या बहिर्गमन करके या किसी अन्य तरीके से, ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन राज्यपाल के प्रति निरादर माना जाएगा

1. मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो, क्रमांक 29, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया, अधिसूचना क्रमांक 6180-वि.स.-विधान-2015, दिनांक 13 मार्च, 2015 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), में प्रकाशित.

तथा संबंधित सदस्य/सदस्यों की ओर से पूर्णतः अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानंना माना जा सकता है जिस पर तदनन्तर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा उस पर विचार किया जाएगा.

(ख) यदि कोई सदस्य विरोध स्वरूप राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करना चाहता है, तो वह, राष्ट्र-गान गायन/वादन के तुरंत बाद तथा राज्यपाल द्वारा अभिभाषण प्रारंभ करने से पहले सदन से बहिर्गमन कर सकता है.

5. सदन के बाहर सदस्यों के लिए आचार-संहिता तथा सामान्य आचरण सिद्धांत—

(क) सदस्यों को गोपनीय रूप से उपलब्ध कराई गई सूचना या राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सदस्यों के रूप में उपलब्ध, सूचना किसी के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, न ही उनके द्वारा इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सें उस व्यवसाय में उपयोग किया जाएगा जिसमें वे संलग्न हैं, जैसे-समाचार पत्रों के सम्पादक या संवाददाता के रूप में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामी के रूप में इत्यादि.

(ख) कोई सदस्य किसी प्रतिष्ठान, कंपनी या संगठन के लिए सरकार के कार्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, जिसके साथ वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है.

(ग) कोई सदस्य ऐसे प्रमाण-पत्र नहीं देगा जो तथ्यों पर आधारित न हों.

(घ) कोई सदस्य उसे आवंटित सरकारी आवास के परिसर को किराये पर देकर लाभ अर्जित नहीं करेगा.

(ङ) कोई सदस्य सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों को ऐसे मामले में अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगा जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय रूचि रखता हो.

(च) कोई सदस्य किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे वह किसी व्यक्ति या संगठन से करवाता है और जिसके लिए कार्य उसके द्वारा किया गया है, से किसी प्रकार का आवभगत प्राप्त नहीं करेगा न ही कोई मूल्यवान उपहार स्वीकार करेगा.

(छ) कोई सदस्य वकील या वैधानिक सलाहकार या विधि परामर्शदाता या सॉलिसीटर के रूप में किसी मंत्री या अर्द्ध-वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा.

(ज) कोई सदस्य किसी भी स्थिति में किसी अन्य सदस्य को अपशब्द नहीं कहेगा, धमकी नहीं देगा, मारपीट नहीं करेगा.

(झ) सदस्य यात्रा आदि के दौरान विधान सभा सदस्य होने की मर्यादा का ध्यान रखेगा तथा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो कि सदस्य की मर्यादा के विरुद्ध हो तथा जिससे शासकीय नियमों/परंपराओं के पालन में असुविधा हो.

(ञ) कोई भी सदस्य किसी भी धर्म, जाति एवं पंथ का अनादर नहीं करेगा, न हो ऐसा कार्य करेगा जिससे भारतीय संविधान का उल्लंघन होता हो.

(ट) सदस्य द्वारा भारतीय संविधान का अनुसरण किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रतिष्ठा एवं मानमर्यादा बनाए रखनी चाहिए.].

शाकेमुभो--876--असविसभो--20-2-23-1,000.

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 7 फरवरी, 2024 (माघ 18, 1945)

वर्ष 2024-2025 की अवधि में सेवा करने के लिए
विधान सभा की चार समितियों का गठन

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मान. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा, निम्नांकित सदस्यों को वर्ष 2024-2025 की अवधि में सेवा करने के लिए कार्य मन्त्रणा समिति हेतु नियुक्त किया गया है :-

(1) कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. मोहन यादव, मान. मुख्यमंत्री
2. श्री जगदीश देवड़ा, मान. उप मुख्यमंत्री
3. श्री कैलाश विजयवर्गीय, मान. संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री शिवराज सिंह चौहान, मान. सदस्य
5. श्री गोपाल भार्गव, मान. सदस्य
6. डॉ.सीतासरन शर्मा, मान. सदस्य
7. श्री अजय विश्नोई, मान. सदस्य
8. सुश्री मीना सिंह मांडवे, मान. सदस्य
9. श्री हरिशंकर खटीक, मान. सदस्य
10. श्री उमंग सिंघार, मान. नेता प्रतिपक्ष
11. *श्री राजेन्द्र भारती, मान. सदस्य
12. श्री यादवेन्द्र सिंह, मान. सदस्य
13. श्री लखन घनघोरिया, मान. सदस्य
14. श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, मान. सदस्य

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 के उपनियम(1) के अधीन मान. अध्यक्ष, विधान सभा, उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे.

2. मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमश:नियम 208(1), 225(1) तथा 232 के अधीन वर्ष 2024-2025 की अवधि में सेवा करने के लिए मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित सभा समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद्वारा नियुक्त किया गया है:-

---

*** कृपया देखें पत्रक भाग-दो, क्रमांक 39, दिनांक 25 जून,2024**

(3) विशेषाधिकार समिति

1. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, मान. सदस्य
2. श्री विजयपाल सिंह, मान. सदस्य
3. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, मान. सदस्य
4. श्री जयवर्द्धन सिंह, मान. सदस्य
5. श्री विष्णु खत्री, मान. सदस्य
6. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, मान. सदस्य
7. श्री मोहन शर्मा, मान. सदस्य
8. श्रीमती ललिता यादव, मान. सदस्य
9. श्री अनिरुद्ध माधव मारू, मान. सदस्य
10. श्री आरिफ मसूद, मान. सदस्य

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

विशेषाधिकार समिति
वर्ष 2024-25

स्थायी एवं स्थानीय पते की सूची
(मोबाइल नं. एवं दूरभाष सहित)

क्र.	माननीय सदस्यों के नाम	स्थायी पता	स्थानीय पता	मोबाइल नंबर	पिनकोड/दूरभाष नं.
1	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन	376/9ए, धर्म श्री, अम्बेडकर वार्ड, जिला-सागर (म.प्र.) पिन कोड-470001.	ए-802, तुलसी टावर, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)	9752500511 9425170511	(07582) 233338, 248478 फैक्स - (0755) 233970
2	श्री विजयपाल सिंह	होटल भाग्यश्री, इतवारा बाजार, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.) पिन कोड-461001	डी-25, चार इमली, सी.बी.आई. कालोनी के पास, भोपाल (म.प्र.)	9425040990 8103362020	(07574) 253697
3	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	15, पुराना अस्पताल मार्ग, जावरा, जिला-रतलाम (म.प्र.) पिन कोड -457226	विधायक विश्राम गृह, नवीन पारिवारिक परिसर-स, कमरा नंबर-4, भोपाल (म.प्र.)	9425103130 9424503130	(07414) 220245, 220524
4	श्री जयवर्द्धन सिंह	किला राघौगढ़, जिला-गुना (म.प्र.) पिन कोड - 473226	डी-21, चार इमली, भोपाल (म.प्र.)	8224966666 9893110140	(07544) 263333
5	श्री विष्णु खत्री	मकान नं.-149, ओम शिव नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) पिन कोड - 462030	मकान नं.-149, ओम शिव नगर, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.)	9425005041	(07582) 2660603
6	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	ग्राम-किरगी, पोस्ट व थाना-राजेन्द्र ग्राम, तहसील-पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) पिनकोड-484224	विधायक विश्राम गृह, खण्ड-2, कमरा नं.- 62-63-64, भोपाल (म.प्र.)	9425898329 7067354811	(07629) 268022, 268607 फैक्स - (07629) 268655
7	श्री मोहन शर्मा	14/52, शिक्षक कालोनी, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) पिन कोड - 465661	विधायक विश्राम गृह, नया पारिवारिक खण्ड-1, कमरा नं.- 9, भोपाल (म.प्र.)	9425445130 9425187575	-
8	श्रीमती ललिता यादव	अर्पित भवन, चेतगिरी कालोनी, वार्ड क्रमांक-40, जिला-छतरपुर (म.प्र.) पिन कोड - 471001	विधायक विश्राम गृह, नया पारिवारिक खण्ड-2, कमरा नं.- 2, भोपाल (म.प्र.)	9425144084 9131305283	फैक्स - (07682) 242266
9	श्री अनिरूद्ध माधव मारू	मारू मोटर्स, डाक बंगले के सामने, नीमच कोटा रोड, मनासा, जिला-नीमच (म.प्र.) पिन कोड - 458110	ई-117/15, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)	7999380421 9425106222	-
10	श्री आरिफ मसूद	मकान नं.-16, नीम वाली सड़क, पुराना गल्ला बाजार, शाहजहांनाबाद भोपाल (म.प्र.)	ई-114/1, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)	9425005786	फैक्स - (0755) 2535050

विशेषाधिकार समिति शाखा के अधिकारीगणों के नाम, दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर की सूची

क्रमांक	अधिकारियों के नाम व पद	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष एवं मोबाइल नंबर
1	श्री ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव	0755-2523006	0755-2440410 9425012971
2	श्री अरविन्द शर्मा सचिव	0755-2523011	8383931071
3	श्री पुनीत श्रीवास्तव अपर सचिव	0755-2523033	
4	श्री व्ही. डी. गोयल संचालक (पुस्त.)	0755-2523169	0755-2776105
5	श्री विष्णु प्रताप सिंह अनुसंधान अधिकारी (पुस्त.)	0755-2523061	
6	श्री राकेश कुमार तिवारी सहायक अनुसंधान अधिकारी	0755-2523127	

स्रोत :- मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम

अध्याय-22

विशेषाधिकार

(क) विशेषाधिकार के प्रश्न

विशेषाधिकार के प्रश्न.

164. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकेगा.

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना.

165. जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, प्रमुख सचिव/सचिव को देगा. यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा.

विशेषाधिकार के प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें.

166. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे.

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक निर्बन्धित रहेगा.

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो.

विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति.

167. (1) यदि अध्यक्ष, नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह [1][. . . . .] संबंधित सदस्य को पुकारेगा, जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा:

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 164 के अधीन अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो यदि वह आवश्यक समझे उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना देगा और कह देगा कि उसने सम्मति देने से इंकार किया है या वह विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता :

1. म.प्र. विधान सभा पत्रक भाग 2, क्रमांक 78, दिनांक 7 सितम्बर, 1976 द्वारा लोप किया गया. अधिसूचना क्र. 13337-विधान, दिनांक 17 सितम्बर, 1976 ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' भाग-4 (ग) दिनांक 19 नवम्बर, 1976 में प्रकाशित.

परन्तु यह और भी कि यदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के संबंध में समाधान हो जाय, तो वह प्रश्नों के निबटाये जाने के बाद बैठक के दौरान में किसी भी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा.

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और तद्नुसार यदि समस्त सदस्यों की संख्या में से कम से कम दशांस [कम से कम दस] सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा, कि अनुमति दी जाती है. यदि दस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना.

168. यदि नियम 167 के अधीन अनुमति दे दी जाय, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी. सभा-नेता या किसी अन्य सदस्य के द्वारा, जिसे वह इस नियम के अधीन अपना कृत्य प्रत्यायुक्त करे, किये गये प्रस्ताव पर वह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जायेगा.

विशेषाधिकार समिति को प्रश्न सौंपने की अध्यक्ष की शक्ति.

[1][169. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार-समिति को सौंप सकेगा और इसकी सूचना यथासमय सभा को दी जायेगी.]

[1][169-क. विशेषाधिकार भंग संबंधी किसी सूचना की ग्राह्यता या अग्राह्यता या प्रकरण को अध्यक्ष द्वारा जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने की सूचना संबंधितों को दी जाएगी.]

[2][(ख) विशेषाधिकार समिति को संदर्भित सभी मामले और प्राप्त सूचनाएं विधान सभा विघटित हो जाने की स्थिति में व्यपगत हुई मानी जायेंगी किन्तु समिति के ऐसे प्रतिवेदन जिन पर नियम 197 के अन्तर्गत अध्यक्ष ने मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दिया हो, विधान सभा विघटित हो जाने की स्थिति में उनकी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नवीन गठित विधान सभा द्वारा किया जा सकेगा.].

प्रक्रिया का विनियमन.

170. अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिये ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे.

1. म.प्र. विधान सभा पत्रक भाग 2, क्रमांक 37, दिनांक 26 मार्च 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया. अधिसूचना क्रमांक 7208/वि.स./विधान/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित.
2. मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो, क्रमांक 29, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा अंतःस्थापित किया गया. अधिसूचना क्रमांक 6180-वि.स.-विधान-2015, दिनांक 13 मार्च, 2015, ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में प्रकाशित.

(झ) विशेषाधिकार समिति

225. (1) यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा, जिसमें दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे. समिति का गठन.

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति तब तक पद धारण करेगी जब तक कि नवीन समिति का नाम-निर्देशन नहीं हो जाता.

---

1. मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो क्रमांक-63, दिनांक 9 अप्रैल, 2001 द्वारा नियम 224(1) व (2) के विषय वस्तु अंत: परिवर्तित अधिसूचना क्रमांक 13645,-वि.स.-विधान-2001, दिनांक 9 अप्रैल, 2001, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित.

2. म. प्र. विधान सभा पत्रक भाग-दो, क्रमांक 205, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 द्वारा संशोधित. अधिसूचना क्रमांक 39320-वि.स.-विधान, 2000, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में प्रकाशित.

समिति की गणपूर्ति.

226. समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों की होगी.

समिति द्वारा प्रश्न की जांच.

227. (1) समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी कि किसी विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, और यदि है तो किस स्वरूप का है और किन परिस्थितियों में हुआ है, और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे.

(2) इन नियमों के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि सभा, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करे.

समिति की बैठकें.

228. (1) विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार का प्रश्न सौंपे जाने के बाद समिति की बैठकें यथाशीघ्र समय-समय पर होंगी तथा समिति, सभा द्वारा, नियत किये गये समय के भीतर प्रतिवेदन देगी :

परन्तु जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था :

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक समय बढ़ा दिया जाए.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकेंगे या अंतिम.

(3) यदि कोई सदस्य किसी विषय पर अपनी विमत टिप्पणी अभिलिखित करना चाहे तो वह उतने समय के भीतर जितने कि अनुमति सभापति दे, अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकेगा.

[1][प्रतिवेदन पर विचार एवं संशोधन.

229. (1) प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र सभापति या समिति के किसी सदस्य के नाम पर प्रस्ताव रखा जाएगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए.

(2) कोई सदस्य उपर्युक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना ऐसे प्रपत्र पर दे सकेगा जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझेः

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यह प्रश्न या तो परिसीमा के बिना या किसी विषय विशेष के संबंध में समिति को पुनः सौंपा जाए.

सभा द्वारा प्रतिवेदन विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रस्ताव.

230. उपर्युक्त नियम 229 के अन्तर्गत किए गए प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को स्वीकार करे/अस्वीकार करे या संशोधनों के साथ स्वीकार करे].

1. मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग-दो, क्रमांक 29, दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया, अधिसूचना क्रमांक 6180-वि.स.-विधान-2015, दिनांक 13 मार्च, 2015, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), में प्रकाशित.